पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0पत्र संख्या :– 138/2021

1 पोलासिंह

..........प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), खाजूवाला।

...........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित जमीन चक 25 बीएलडी ए के मु0नं0 177/29 से संबंधित आवंटन पत्रावली मिसल सं0 5185/96 (जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट ऑफिस बीकानेर नकल क्रमांक 1715, 27.8.21) का अध्ययन किया गया। आवंटन आवेदन तथा प्रोसीडिंग में आवेदक का नाम पोलासिंह/मुकुन्दसिंह नाईसिख 9 एफएफ बड़ोपल, करणपुर दर्ज है। 13.5.99 की जारी किए गए आवंटन पट्टा में भी यहीं नाम दर्ज है।

लेकिन इस आवंटन आदेश की पालना में दर्ज किए गए इंतकाल सं0 37 दिनांक 15.6.99 में करनपुर की जगह पदमपुर दर्ज किया गया है।

तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि करनपुर की जगह पदमपुर गलती से लिखा गया है।

वर्तमान जमाबंदी में खातेदार का नाम पोलसिंह पुत्र मुकुंदसिंह, पीलीबंगा दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट के मुताबिक पोलासिंह की जगह पोलसिंह और पदमपुर की जगह पीलीबंगा इंतकाल सं0 37 के बाद यह तब्दीली सहवन से हुई है (एनेक्सर)

उपरोक्त फैक्ट्स की बुनियाद पर अदालत को यह समाधान है कि विवादित जमीन चक 25 बीएलडी ए के मु0नं0 177/29 के खातेदार का सही नाम पोलासिंह/मुकुंदसिंह, नाईसिख 9 एफएफ बड़ोपल तहः करणपुर होना चाहिए। इसलिए धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तहसीलदार खाजूवाला को उपरोक्त फैसले के मुताबिक खातेदार का नाम शुद्ध करने के आदेश दिए जाते है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2022.02.10 15:17:38 IST
Reason: SelfAttested